



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-02012026-269026
CG-CG-E-02012026-269026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5895]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5895]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 26 दिसम्बर, 2025

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ड.) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 6095 (अ).—केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राज पत्र, असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 4445 तारीख 07/10/2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उप बन्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "बिलासपुर डिवीजन - पीएलएयू-उर्गा के बीच एलसी संख्या सीजी-19 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण।" के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना क्रमांक 4445 तारीख 07/10/2025 का कोरबा बालको टाइम्स (हिन्दी) कोरबा संस्करण, पत्रिका (हिन्दी) बिलासपुर संस्करण, मितान (हिन्दी) कोरबा संस्करण और सेंट्रल क्रानिकल (अंग्रेजी) रायपुर संस्करण में दिनांक 01.11.2025 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड.) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 कि धारा 20(ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंलग्न अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्रों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

(अ) रेल परियोजना "बिलासपुर डिवीजन - पीएलएयू-उर्गा के बीच एलसी संख्या सीजी-19 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण।" के अधिग्रहण के लिए भूमि का संक्षिप्त विवरण.

1. ग्राम – पताढी, प. ह. न. 29, तहसील – कोरबा, जिला – कोरबा (छ.ग.)

क्र.	खसरा न.	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि स्वामी का नाम
1	668/2	निजी	कृषि	0.0233	सूरज बाई पति बजरंग दस
2	712/6	निजी	पड़त	0.0361	कुंवर सिंह पिता अघनसिंह, संजय, मंजय पिता गांधीराम, कमला बाई पिता गांधीराम, दूजबाई पिता अघनसिंह, गंगाबाई बेवा अघनसिंह, रुद्रपाल पिता रामायणसिंह, सुलबाई पिता रामायणसिंह
3	712/10	निजी	कृषि	0.0580	नानसाय सिदार पिता पवनसिंह
4	715/1	निजी	पड़त	0.0140	वेदसिंह पिता शिवप्रसाद
5	712/8	निजी	कृषि	0.0166	हेतराम पिता शिवप्रसाद
6	713/2	निजी	पड़त	0.0383	तिरीथलाल, सुरीतराम, नर्मदाप्रसाद
कुल भूमि (पताढी)				0.1863 हे.	

[फा. सं. डीवाई.सी.ई./जीएसयू/बीएसपी/आरयूबी /CG19/20(ड.)/1]
संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 26th December, 2025

Notification Under Section 20e Of The Railway Act 1989

S.O. 6095(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number 4445, dated 07/10/2025, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **"Bilaspur Division - Construction of RUB in lieu of LC No. CG-19 Between PLAU-URGA."** in the state of Chhattisgarh.

And, whereas, the substance of the said notification Number 4445, dated 07/10/2025, was published in the daily newspapers, Korba Balco Times (Hindi) Korba edition, Patrika (Hindi) Bilaspur edition, Mitani (Hindi) Korba edition and Central Chronicle (English) Raipur edition, on 01.11.2025 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act,

And whereas, no objection was received within the set time period.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section I) of Section 20E of the said Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances,

A. “Bilaspur Division - Construction of RUB in lieu of LC No. CG-19 Between PLAU-URGA.” Brief description for the acquisition.

1. Village Name – Patadi, P.H.No.- 29, Tehsil – Korba, District – Korba (C.G.)

Sl. No.	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (in Hect)	Name of Land Owner
1	668/2	Private	Agric.	0.0233	Suraj Bai W/O Bajrang Das
2	712/6	Private	Fallow	0.0361	Kunwar Singh S/O Aghan Singh, Sanjay, Manjay S/O Gandhiram, Kamala Bai D/O Gandhiram, Dujbai D/O Aghan Singh, Gangabai W/O Aghan Singh, Rudrapal S/O Ramayan Singh, Sulbai D/O Ramayan Singh.
3	712/10	Private	Agric.	0.0580	Nansay Sidar S/O Pawansingh
4	715/1	Private	Fallow	0.0140	Vedsingh S/O Shivprasad
5	712/8	Private	Agric.	0.0166	Hetaram S/O Shivprasad
6	713/2	Private	Fallow	0.0383	Tirithlal, Suritram, Narmadaprasad
Total Land (Patadi)					0.1863 Hac.

[F. No. DY.CE/GSU/BSP/RUB/CG-19/20E/1]
SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP